यालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

सीन अधिकारी :— जोगेन्द सिंह, आर.ए.एस.

दमा नम्बर 149/2024 राजस्व वाद

01. टीकमचन्द पुत्र हेमा रेगर जाति रेगर आयु वयस्क निवासी—सदारण तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)।
02. मोहन पुत्र हेमा रेगर जाति रेगर आयु वयस्क निवासी—सदारण तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)।
03. प्रभुलाल पुत्र किशना रेगर जाति रेगर आयु वयस्क निवासी—सदारण तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)।
04. किस्तुरचन्द पुत्र लक्ष्मण रेगर जाति रेगर आयु वयस्क निवासी—सदारण तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)।
05. बदामी पत्नी लक्ष्मण रेगर जाति रेगर आयु वयस्क निवासी—सदारण तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)।

—— वादी

बनाम

1. किशन लाल पुत्र उदय लाल खटीक जाति खटीक आयु वयस्क निवासी—खटीकवास, पीपरड़ा जिला राजसमन्द(राज0)।
2. राहुल पुत्र मदन भाई सुयल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी—खटीक मौहल्ला,पालना कलां जिला उदयपुर(राज0)।
3. राजू सिंह पुत्र देवी सिंह रावत जाति रावत आयु वयस्क निवासी—नीलवा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।
4. मूलसिंह पुत्र पेमा रावत जाति रावत आयु वयस्क निवासी—नीलवा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।
5. नैनू देवी पुत्री भूर सिंह रावत जाति रावत आयु वयस्क निवासी—नीलवा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।
6. लक्ष्मण पुत्र पेमा रावत जाति रावत आयु वयस्क निवासी—नीलवा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
8. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा— 88,89,92—क 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

त :—
मुकेश सिह तंवर —— अधिवक्ता वादी
पक्षीय कार्यवाही —— प्रतिवादी सं.1 लगायत 06
कार सरकार — अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 07 व 08

:: निर्णय ::

दिनांक—07.07.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्व वाद बाबत घोषणा का त धारा 88,89,92—क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद का बाडिया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की खाता 23 मे आराजी नम्बर 250 रकबा 0.1391 हैक्टयर, आराजी नम्बर 251 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर कबा 0.4553 हैक्टयर, आराजी नम्बर 857 रकबा 0.1644 हैक्टयर, आराजी नम्बर 859 रकबा 0.1897 हैक्टयर, ी नम्बर 860 रकबा 0.2276 हैक्टयर कुल किता 06 कुल रकबा 1.2899 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त यात को वादपत्र मे वादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित किया जायेगा। उक्त आराजियात के तेदार लेहरी, मानी का देहान्त हो चुका है जिसके वारीस वादीगण हैं। उक्त वादग्रस्त आराजियात जो कि नम्बरान में वादीगण के पूर्वज हेमा व पेमा व खातेदार चुनीया के नाम पर दर्ज थी, खातेदार चुनीया द्वार सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पूर्वज पेमा, हेमा को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये विक्रय की गयी, जो जरिये ल संख्या 30 दिनांक 14.02.1969 के चुनीया के बजाय पेमा, हेमा रेगर के नाम पर दर्ज हुई। उक्त यात में चुनीया का कोई हक अधिकार नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजियात सम्पूर्ण पर वादीगण पेमा, हेमा व उपरान्त विरासत से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहें हैं व आज भी वादीगण रूपये खर्च किये हैं व वादीगण निर्बाध रूप से आमजन व पक्षकारों की जानकारी में काबिज होकर उसक उपभोग करते चले आ रहें हैं। आज भी वादीगण का कब्जा है। हाल में ही दिनांक 02.02.2024 क दीगण मौके पर आये व वादीगण को जबरन बेदखल करने की धमकी दी व भूमि में उनका नाम दर्ज होने

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर

ादीगण को जबरन बेदखल करने व अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण करने की धमकी दी, इस पर वादीगण ने ाजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त की तो पता चला की चुनीया द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पूर्वजों को विक्रय कर देने व नामान्तरणकरण खुल जाने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से पुन चुनीया का ाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो गया, जिसके वारीसान द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 व उनके पूर्वजों को ादीगण के पूर्वजो को भूमि विक्रय करने के बाद विक्रय कर दी, जबकि उनको भूमि विक्रय करने का कोई हक धिकार नही था व उक्त दुबारा किये गये पश्चातवर्ती विक्रयपत्र वादीगण पर बाध्यकारी नही है। प्रतिवादीगण का उनके पूर्वजो का कभी भी कब्जा नही रहा है व न ही है। आज भी वादीगण ही काबिज होकर उसका उपयोग पभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 व उनके पूर्वजों के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र दीगण के हक अधिकार के मुकाबले अवैध शून्य, निष्प्रभावी होकर नल एण्ड वोईड है व वादीगण पर बाध्यकारी ही है। वादीगण राजस्व रेकॉर्ड मे इन्द्राज दुरस्ती करा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 का नाम विलोपित करा पने नाम पर दर्ज कराने व खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। इस कारण से वादीगण को यह दपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। यदि तिवादीगण वादीगण को वादग्रस्त आराजियात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगा व प्रतिवादीगण के न पर उक्त आराजियात राजस्व रेकॉर्ड मे अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजियात को किसी य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण/खुर्द बुर्द कर देगा तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी व वादीगण अपनी क आराजियात से वंचित हो जायेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस ण से वादीगण के पक्ष मे एव प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं श्यक है। प्रतिवादीगण वादीगण को वादग्रस्त आराजियात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और न किसी अन्य से करावे तथा वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे। सरहद गोमा का बाडिया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख क्षक ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में खाता संख्या 23 में आराजी नम्बर 250 रकबा 0.1391 यर, आराजी नम्बर 251 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 252 रकबा 0.4553 हैक्टयर, आराजी नम्बर 857 ा 0.1644 हैक्टयर, आराजी नम्बर 859 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 860 रकबा 0.2276 हैक्टयर कुल 06 कुल रकबा 1.2899 हैक्टयर भूमि में चुनीया द्वारा उनका हक हिस्सा वादीगण के पूर्वजों को विक्रय करने वजूद भी उनका नाम दर्ज होने से उनके वारिसान द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 व उनके पूर्वजों को गये विक्रयपत्र वादीगण के पूर्वजों के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के मुकाबले अवैध, शून्य, निष्प्रभावी एण्ड वोईड) घोषित कराया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 का नाम विलोपित करा, प्रतिवादी संख्या लगायत 06 के हक हिस्से की भूमि वादीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज करायी जाने की ात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं।

स पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी संख्या 01 यत 08 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा वादपत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किये गये व द्वारा अपनी साक्ष्य स्वरूप पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये दस्तावेजात प्रदर्श किये गये। वादी प्रकरण में जमाबन्दी नकले रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति व राजस्व रेकॉर्ड के दस्तावेजात पेश किये गये जिसे ल पत्रावली किये गये।

अधिववक्ता वादी की बहस सुनी गई, अधिववक्ता वादी ने दोराने बहस वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त जियात जो कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये क्रय शुदा होने से ादीगण के खाते से भूमि कम कर भूमि वादीगण के नाम दर्ज करने का निवेदन किया।

वादीगण के अधिववक्ता की बहस सुनी गयी व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, ग्रस्त आराजियात जो कि चुनीया द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.02.1969 को किया हैं जो कि वादीगण के नाम पर दर्ज नहीं हैं। प्रतिवादीगण के नाम पर गलत तौर पर दर्ज हुआ हैं। गण द्वारा क्रयशुदा भूमि प्रतिवादीगण के खाते से कम कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना व उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र कार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

हद गोमा का बाडिया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा ज0) में खाता संख्या 23 में आराजी नम्बर 250 रकबा 0.1391 हैक्टयर, आराजी नम्बर 251 रकबा 0.1138 टयर, आराजी नम्बर 252 रकबा 0.4553 हैक्टयर, आराजी नम्बर 857 रकबा 0.1644 हैक्टयर, आराजी नम्बर 859 बा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 860 रकबा 0.2276 हैक्टयर कुल किता 06 कुल रकबा 1.2899 हैक्टयर भूमि

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

पुनीया द्वारा उनका हक हिस्सा वादीगण के पूर्वजों को विक्रय करने के बावजूद भी उनका नाम दर्ज होने से
के दाखिलान द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 व उनके पूर्वजों को किये गये विक्रयपत्र वादीगण के पूर्वजों के
मे निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के मुकाबले अवैध, शून्य, निष्प्रभावी (नल एण्ड वॉईड) घोषित किया जाकर
वादी संख्या 01 लगायत 06 का नाम राजस्व रिकोर्ड से विलोपित कर, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के हक
से की भूमि वादीगण के नाम पर राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी हक अधिकार से दर्ज किये जाने के आदेश दिये
है। व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कदर की जारी की जाती है कि
वादीगण वादग्रस्त आराजीयात मे वादीगण के उपयोग उपभोग में व्यवधान आदि नही करें व वादीगण को
पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवें।इस निर्णय की पालना में तहसीलदार को तहरीर जारी कर पालना
श्चित कराई जावे। उक्तानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार
र दर्ज नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)